

कोर्ट केस/महत्वपूर्ण/तत्काल



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"



लोक निर्माण विभाग, देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2531742, 2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं०-1579/49 वि०प्र०/15

दिनांक 29/09/2015

"परिपत्र"

प्रायः यह संज्ञान में आ रहा है कि लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों के आर्बीट्रेशन से सम्बन्धित वाद में, खण्डों द्वारा विभाग में तैनात क्षेत्र से सम्बन्धित विधि-परामर्शी से सम्पर्क किये बगैर ही मा० आर्बीट्रेटर्स के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिससे कि प्रकरण के परीक्षण के बगैर तथा समुचित पैरवी नहीं होने पर विभाग के विरुद्ध निर्णय होने की सम्भावना बनी रहती है।

अतः समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिये जाते हैं कि आर्बीट्रेशन से सम्बन्धित प्रकरण अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विधि-परामर्शी से परीक्षण कराने के उपरान्त निर्धारित तिथि व दिनांक को मा० आर्बीट्रेटर्स के सम्मुख प्रस्तुत कराने तथा विधि-परामर्शी के द्वारा प्रकरण में प्रभावी पैरवी भी कराना सुनिश्चित करें।

9
(आर०सी० पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
28-09-2015

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून/हल्द्वानी/नई टिहरी/पिथौरागढ़।
2. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
3. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, ए०डी०बी०आई०टी०/वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. विधि परामर्शी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल (देहरादून)/कुमाऊँ (नैनीताल)।

9
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
28-09-2015